न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

प्र0न0 – 34 / 2023

नवान : –

1. धीरज कुमार पुत्र राममूर्ती जाति जाट आयु 23 वर्ष निवासी दड़ोली तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार (हरियाणा)।

वादी

बनाम

1. राममूर्ती पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी दड़ोली तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार (हरिणाणा)।
2. प्रवीण कुमार पुत्र राममूर्ती जाति जाट निवासी दड़ोली तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार (हरिणाणा)।
3. लाजवंती पुत्री श्रीराम पत्नी कानाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ राजस्थान
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रवन्धक
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री धर्मपाल बैरवाल. वादी
श्री सतवीर बैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः 26-9-23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 ए. एम. एस. के खाता संख्या 89 / 80 के मु0न0 1 के किला नं0 15, 16, 24, 25, मु0न0 2 के किला नं0 11, किला नं0 19 ता 22, मु0न0 8 के किला नं0 1, 2, मु0न0 9 के किला नं0 4, 5 कुल किता 14 की 2.9100है0 जिसमें नहरी 2.8850है0 व गै0मु0 खाला 0.025है0 व चक 2 ए एम एस के खाता संख्या 144 / 128 के मु0न0 14 के किला नं0 24, 25 की कुल 0.506है0 जिसमें 0.468है0 नहरी व गै0मु0 रास्ता 0.013है0, गै0मु0 खाला 0.025है0 वादी के दादा श्रीराम पुत्र दलीपसिंह के नाम से खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादीगण अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने

Scanned with OKEN Scanner

स्परी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 व 5 को वकील वादी द्वारा तर्क केत किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद मि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक जीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी हमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 1 ए. एम. एस. के खाता संख्या 89/80 के मु0न0 1 के किला नं0 15, 16, 24, 25, मु0न0 2 के किला नं0 11, किला नं0 19 ता 22, मु0न0 8 के किला नं0 1, 2, मु0न0 9 के किला नं0 4, 5 कुल किता 14 की 2.9100है0 जिसमें नहरी 2.8850है0 व गै0मु0 खाला 0.025है0 व चक 2 ए एम एस के खाता संख्या 144/128 के मु0न0 14 के किला नं0 24, 25 की कुल 0.506है0 जिसमें 0.468है0 नहरी व गै0मु0 रास्ता 0.013है0, गै0मु0 खाला 0.025है0 वादी के दादा श्रीराम पुत्र दलीपसिंह के नाम से खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। उपरोक्त वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 लाजवंती ने अपना हक हिस्सा वादी धीरज कुमार तथा प्रतिवादी संख्या 1 राममूर्ती व प्रतिवादी संख्या 2 प्रवीन कुमार के पक्ष में हक तर्क कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 1 ए. एम. एस. के खाता संख्या 89/80 के मु0न0 1 के किला नं0 15 ,16, 24, 25, मु0न0 2 के किला नं0 11, किला नं0 19 ता 22, मु0न0 8 के किला नं0 1, 2, मु0न0 9 के किला नं0 4, 5 कुल किता 14 की 2.9100है0 जिसमें नहरी 2.8850है0 व गै0मु0 खाला 0.025है0 व चक 2 ए एम एस के खाता संख्या 144/128 के मु0न0 14 के किला नं0 24, 25 की कुल 0.506है0 जिसमें 0.468है0 नहरी व गै0मु0 रास्ता 0.013है0, गै0मु0 खाला 0.025है0 वादी के दादा श्रीराम पुत्र दलीपसिंह के नाम से खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से श्रीराम पुत्र दलीपसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी धीरज कुमार, प्रतिवादी संख्या 1 राममूर्ती व प्रतिवादी संख्या 2 प्रवीन कुमार को बहिस्सा बराबर अनुसारे खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26-9-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़)

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डीक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

0न0 – 34 / 2023

नवान : –

1. धीरज कुमार पुत्र राममूर्ती जाति जाट आयु 23 वर्ष निवासी दड़ोली तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार (हरियाणा)।

वादी

बनाम

1. राममूर्ती पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी दड़ोली तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार (हरिणाणा)।
2. प्रवीण कुमार पुत्र राममूर्ती जाति जाट निवासी दड़ोली तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार (हरिणाणा)।
3. लाजवंती पुत्री श्रीराम पत्नी कानाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ राजस्थान
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बैरवाल व वकील प्रतिवादी श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 1 ए. एम. एस. के खाता संख्या 89 / 80 के मु0न0 1 के किला नं0 15 ,16, 24, 25, मु0न0 2 के किला नं0 11, किला नं0 19 ता 22, मु0न0 8 के किला नं0 1, 2, मु0न0 9 के किला नं0 4, 5 कुल किता 14 की 2.9100है0 जिसमें नहरी 2.8850है0 व गै0मु0 खाला 0.025है0 व चक 2 ए एम एस के खाता संख्या 144 / 128 के मु0न0 14 के किला नं0 24, 25 की कुल 0.506है0 जिसमें 0.468है0 नहरी व गै0मु0 रास्ता 0.013है0, गै0मु0 खाला 0.025है0 वादी के दादा श्रीराम पुत्र दलीपसिंह के नाम से खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से श्रीराम पुत्र दलीपसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी धीरज कुमार, प्रतिवादी संख्या 1 राममूर्ती व प्रतिवादी संख्या 2 प्रवीन कुमार को बहिस्सा बराबर 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26-9-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़